मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई, 2007 (श्रावण 4, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 88 तारांकित तथा 92 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन प्रस्ताव

दिनांक 23 जुलाई, 2007 को धार जिले के कुक्षी शहर में पुलिस द्वारा गोली चालन की घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, सत्यदेव कटारे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सर्वश्री अश्विन जोशी, प्रेमचंद "गुड्डू", रामलखन शर्मा, इंद्रजीत कुमार तथा प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की 12 सूचनाओं में से श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना को अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), राज्यमंत्री, गृह ने शासन का वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हुई चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री सत्यदेव कटारे
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री राम निवास रावत
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

(7) श्री रामलखन शर्मा
(8) श्री इन्द्रजीत कुमार
(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(सर्वश्री रामलखन शर्मा, बंशमणि प्रसाद वर्मा तथा कृष्ण कुमार सिंह"भंवर साहब" द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर संदन से बहिर्गमन किया गया। इसी विषय पर श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा दो बार सदन से बहिर्गमन किया गया)

(10) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने भाषण दिया।

(स्थगन प्रस्ताव पर शासन की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हुई चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा, सदन की प्रक्रिया तथा परम्परा संबंधी निम्नानुसार व्यवस्थाएं दी गईं -

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हुई चर्चा में पूरे प्रदेश में घटित पूर्व घटनाओं का भी उल्लेख करने पर, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव के नियमों के अधीन, घटना की विषयवस्तु तथा संबंधित क्षेत्र तक ही सदस्यगण अपने कथन को सीमित रखें।

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा चर्चा में किसी दल के सदस्य, नगर पंचायत के अध्यक्ष का नाम लेकर आरोप लगाने पर, श्रीमती रंजना बघेल, सदस्य ने आपत्ति उठाई कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उक्त नाम को कार्यवाही से विलोपित करते हुए व्यवस्था दी कि लिखित सूचना/अनुमति लिए बिना, किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगा सकते।

(3) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन की सदस्य श्रीमती रंजना बघेल के प्रति टिप्पणी करने पर, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि किसी सदस्य का अनादर करने का नेता प्रतिपक्ष को अधिकार नही है तथा इस पर आसंदी से व्यवस्था की मांग की.

अध्यक्ष महोदय ने संबंधित अंशों को विलोपित करते हुए व्यवस्था दी कि-

"सदन की मर्यादा और स्तर का सभी ध्यान रखें। सभी जनता द्वारा निर्वाचित योग्य और सम्मानित विधायक हैं, इसलिए परस्पर वाणी-प्रयोग मर्यादित हो। सर्वप्रथम हम सभी विधायक है इनमें से मुख्यमंत्री/नेता प्रतिपक्ष/अध्यक्ष/मंत्री आदि बनते है। अत: किसी विधायक का अपमान करना पूरी विधायिका का अपमान है। सदन में अपनी-अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन सम्मान की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। साथ ही, इस व्यवस्था के बाद सत्तापक्ष के विधायकों का बार-बार इसी बात को उठाना मैं उचित नहीं मानता हूं। "

अतः मेरी प्रार्थना है कि विधायिका के सम्मान की दृष्टि से इस सर्वमान्य सिद्धांत का सब ध्यान रखें।

(4) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय से स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने के बारे में बोलने का अवसर देने की मांग करने पर, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा में सामान्यतः केवल सूचना देने वाले संबंधित सदस्य ही बोलते है। आपका सुझाव इमैच्योर स्टेज पर आया है, क्योंकि अभी स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्यों ने भी ग्राह्यता पर अपनी बात पूरी नहीं की है। संबंधित सदस्यों का पक्ष पहले आ जाए, उसके बाद आवश्यकता महसूस होने पर ही, सत्तापक्ष के सदस्यों को आसंदी के स्वविवेक से निर्णयानुसार अवसर दिया जा सकता है।

(5) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री (सदन के नेता) द्वारा स्थगन प्रस्ताव की घटना के विषय में शासन का पक्ष रखने पर श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जब स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हुआ है तब मुख्यमंत्री जी का भाषण कैसे हो सकता है? इस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि- नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता का यह विशेषाधिकार है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कह सकते हैं। इसके पूर्व भी यह परम्परा रही है कि आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा में हस्तक्षेप करते रहे हैं, यह प्रथम बार नहीं है।

4. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

स्थगन प्रस्ताव में वर्णित घटना की विषयवस्तु के संबंध में श्री शिवराज सिंह चौहान,मुख्यमंत्री ने भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी गई।

(1.07 बजे से 2.33 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

5. नियम 267- क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने जिला मुरैना के पहाड़गढ़, जौरा के अन्तर्गत सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. में डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के विभिन्न अशासकीय उ.मा. विद्यालयों को झूठे प्रतिवेदन के आधार पर मान्यता दी जाने,

(3) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने पांढुर्ना क्षेत्र में शिक्षकों की कमी होने,

(4) श्रीमती रंजना बघेल, सदस्य ने धार जिले के ग्राम सोन गांव और खण्डलाई में स्वीकृत विद्युत ग्रिड का कार्य प्रारंभ न करने,

(5) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र में सिंचाई हेतु कम वोल्टेज का प्रदाय होने,

(6) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने सीधी जिले के ग्राम पंचायत बोदरहा में निर्माण कार्यो के तहत घटिया सामग्री लगाई जाने,

(7) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य ने होशंगाबाद जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन राशि के अभाव में बंद होने,

(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर की तहसील विजयपुर में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुविधा न मिलने,

(9) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने जबलपुर जिले में गंगड़ी बोर स्थित गौशाला भवन की सामग्री चोरी होने,

(10) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य ने सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र की सड़कों की जर्जर हालत होने।
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष (सिविल),

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,
पटल पर रखे।

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री ओमप्रकाश पुरोहित (वकील), सदस्य ने मंदसौर जिले में जंगली तुलसी की खेती के नाम पर कृषकों के साथ धोखाधड़ी होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चंद्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य ने पन्ना जिले के पवई में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर जिले के गिर्द क्षेत्र के डाकू पीड़ित परिवारों को मदद देने में भेदभाव किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के ग्राम चिचली में फायलेरिया नामक रोग का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 119-लखनादौन (अ.ज.जा.) की सदस्य श्रीमती शशि ठाकुर ने विधान सभा के वर्तमान जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री जगदीश मुवेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	**शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई, 2007**	**निर्धारित समय**
1. (क्रमांक-1)	श्री गजराज सिंह सिकरवार	45 मिनट
2. (क्रमांक-5)	पंडित हरिचरण तिवारी	45 मिनट
3. (क्रमांक-9)	श्री गिरिराज मण्डलोई	30 मिनट
4. (क्रमांक-43)	श्रीमती अलका जैन	30 मिनट

श्री जगदीश मुवेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 19 सन् 2007) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 18 सन् 2007) पर विचार किया जाय।

श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3 तथा 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 18 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

11. प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमशः)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पर दिनांक 24 जुलाई, 2007 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(4) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(6) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(7) श्री जालम सिंह पटेल
(8) श्री सत्यदेव कटारे
(9) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

सभापति महोदय (श्री सत्यदेव कटारे) पीठासीन हुए।

(10) श्री इन्द्रजीत कुमार

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 5.21 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई, 2007 (श्रावण 5, 1929) के पूर्वाह्न 9.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.